RTI / Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/25/2016-17

23 मई, 2016

सेवा में

श्री मुकुन्द लाल विश्वकर्मा,
पुत्र स्व. श्री बी.एल. विश्वकर्मा,
ग्राम पुन्नियां, पत्रालय खरेला-210425
जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 16 मई, 2016 का पत्र जोकि इस सचिवालय में दिनांक 20 मई, 2016 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने पांच-पांच रूपये के दो पो.आ. संख्या 70C 285729 व 70C 285730 संलग्न कर सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना का अभिप्राय: *"सूचना से किसी इलैक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है"* यदि आप इसके अंतर्गत इस कार्यालय से कोई सूचना चाहते हैं तो कृपया मांगी गई सूचना का विषय व विवरण स्पष्ट रूप से लिखकर/साफ-साफ टाईप करवा कर भेजें जिससे कि आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

24/5

RTI No. 25

RTI

Vice President's Secretariat
Dy. No. 448
Date 20/6/16
New Delhi

सेवा में :-

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी / महामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय
उप-राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली (भारत)

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न जानकारियाँ उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

1- आवेदक का नाम : मुकुन्दलाल विश्वकर्मा

2- पता : पुत्र स्व० श्री [illegible]लाल विश्वकर्मा, निवासी:- ग्राम कुरिया, पत्रालय- खरेला (210 425), जनपद- महोबा (उत्तर प्रदेश)

3- चाही गयी जानकारी का विवरण--

क-- चाही गयी जानकारी की विषय वस्तु--

महोदय, महामहिम महोदय जी केवल राशन हेतु मान्य " गाँव के कोटेदार श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री चेतसिंह द्वारा प्रार्थी को दिनांक 21 जनवरी 2016 को प्रदान किये [illegible] महामहिम महोदय जी प्रार्थी की [illegible] ए०पी०एल० राशन कार्ड सं० 216910 23 2650 [illegible] प्रार्थी द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय उ०प्र० शासन लखनऊ (उ०प्र०) [illegible] के पंजीकृत पत्रांक सं० सी०एम० 606/49-1.12-9 (46)॥ लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2012 की संलग्न छाया प्रति अनुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से दिनांक 03.05.2012 को एवं [illegible] छाया प्रति [illegible] माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ (उ०प्र०) से दिनांक 20-03-2012 को [illegible] में न्याय की आशा [illegible] परेशान होकर स्वयं आत्म हत्या करने हेतु इच्छा मृत्यु का आदेश प्रदान करें। [illegible] से तुरन्त [illegible] गाँव के कोटेदार श्री रमेशचन्द्र द्वारा उ०प्र० शासन [illegible] के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वैधानिक जानकारी प्रार्थी को प्रदान किये गये इस वैधानिक ए०पी०एल० कार्ड सं० 216910 23 2650 में [illegible] प्राप्त करने बावत राशन हेतु मान्य होने पर भी जनवरी 2016 से लेकर मई 2016 (05 माह) से उत्तर प्रदेश [illegible] प्रार्थी द्वारा महामहिम के इन सम्बन्धित पंजीकृत पत्रों की छायाप्रतियों के बावजूद भी राशन गेहूँ, चावल आदि महोदय जी की सेवा नहीं दिया जा रहा है और न ही क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक महोदय चरखारी द्वारा इस विषय में प्रेषित यह पंजीकृत के पत्रांक सं० 781 दिनांक 14 मार्च 2016 की संलग्न छाया प्रति अनुसार इस राशन कार्ड के सम्बन्ध आवेदन-पत्र। में न तो कोई जानकारी दी जा रही है और न ही राशन ही दिलाया जा रहा है" तो क्या महोदय जी यह ए०पी०एल० राशन कार्ड फर्जी है" कृपया न्याय की आशा से इस राशन कार्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी को वैधानिक जानकारी देते हुये लिखित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्रार्थी के पास मात्र 70.05 डेसीमल भूमि होने के बावजूद भी 05 माह से राशन नहीं दिया जा रहा है जब कि इसके पूर्व पुराने राशन की संलग्न छाया प्रति अनुसार प्रार्थी को 05 k.g. से लेकर 15 k.g. तक राशन प्रदान किया गया है। [illegible]

ख-- दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाहिए / निरीक्षण करेंगे-- ✓ दस्तावेजी प्रमाणित प्रतिलिपि

ग-- जानकारी प्राप्त करने का माध्यम-- स्वयं [signature]
16.05.2016

" महामहिम महोदय जी उत्तर प्रदेश शासन के इन महत्व पूर्ण पंजीकृत पत्रों की संलग्न छाया प्रतियों के बावजूद भी प्रार्थी के पास मात्र 70.05 डेसीमल भूमि होने पर भी गाँव के कोटेदार द्वारा [illegible] अधिकारियों के इशारे पर इस ए०पी०एल० राशन कार्ड पर लगातार 05 माह से कोई राशन नहीं दिया जा रहा है तो क्या महोदय जी क्या यह राशन कार्ड फर्जी है।"

स्थान: चरखारी / कुरिया

तिथि- 16-मई-2016

प्रार्थी
[signature]
16.05.2016
(मुकुन्दलाल विश्वकर्मा)
पुत्र स्व० श्री [illegible]लाल वि०
नि० ग्राम कुरिया पत्रा० खरेला
तहसील चरखारी जनपद-महोबा

प्रार्थी के पास मात्र 70.05 डेसीमल भूमि होने के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।

संलग्नक-- 1- भारतीय पोस्टल आर्डर की दो मूल प्रतियाँ क्रमशः (1) 70C, 285729, (2) 70C, 285730 दिनांक 22-04-2016 धनराशि - 05+05=10 (दस रुपये मात्र) देय शुल्क के रूप में संलग्न है।

2- इच्छा मृत्यु का आदेश माँगने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पंजीकृत पत्रांक सं० सी०एम० 606 दिनांक 31/10/12 की छाया प्रति। 3- कोटेदार द्वारा प्रदान किये गये ए०पी०एल० राशन कार्ड सं० 216910232650 की छाया प्रति।

4- महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पंजीकृत पत्रांक सं० P.I.0.686 जी०एल० दिनांक 30.03.2016 की छायाप्रति

5- उत्तर प्रदेश शासन के महत्व पूर्ण पत्रों क्रमशः (1) 256 दिनांक 13.04.2016 एवं (2) पत्रांक सं० 180 दिनांक 20 मार्च